फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

ग्राम पंचायत, धरियावद	बनाम	राजस्थान राज्य तहसीलदार, धरियावद

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 03/2025 प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.2025	पत्रावली दर्ज होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित जिन्हें मयाद के बिन्दु पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने बताया कि अपील राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौडगढ़ से स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस उन्हें प्राप्त नहीं हुआ फिर भी अपीलांट के उपस्थित नहीं होने का अंकन करते हुए अपील अपीलांट की अदम हजारी व पैरवी में दिनांक 22.07.2020 को खारिज कर दी गयी। प्रार्थी को इसकी जानकारी हाल ही में उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि पर बने मकान को गिराने के लिए डिमारकेशन किया। अपीलांट के वकील की मृत्यु हो जाने से अपील की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। काफी जांच पड़ताल के बाद अपील खारिज होने की जानकारी मिली जिससे प्रार्थना पत्र अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अपील दिनांक 22.07.2020 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थी द्वारा अपील को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र लगभग 05 वर्ष की अवधि होने उपरान्त पेश किया है। इतनी देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई ठोस आधार वकील प्रार्थी नहीं बता सके यह भी वह बताने में असमर्थ रहे कि अपील खारिज होने की जानकारी उन्हें कैसे और किस दिनांक को हुई। प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश देरी से पेश करने का कोई संतोषजनक एवं उचित कारण बताने में असफल रहे है ऐसी रिथति में मयाद को कन्डोन किया जाना हम	

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

न्यायोचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. का मयाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

मिसल फैसल शुमार हो।

03/06/2025

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner